P.N-174-
28-8-17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
12.05.17	<u>विविध वाद संख्या– 20/2016–17</u> निरंजन कुमार बनाम राज्य <u>आदेश</u> यह वाद आवेदक निरंजन कुमार, पिता– जागेश्वर महतो ग्राम– करमडीह, थाना– गढ़वा, जिला– गढ़वा की ओर से माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा W.P. (S) No. 5888 of 2014 में दिनांक– 08.09.2016 को पारित आदेश के आलोक में दायर आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार आवेदक के आवेदन एवं संबंधित कार्यालय का सुनवाई कर अभिलेख का जांच करते हुए Reasoned Order पारित किया जाना है। तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश में निहित निदेश के आलोक में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गढ़वा एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा से जांच प्रतिवेदन की मांग किया गया तथा ओवदक को सूचना निर्गत किया गया। आवेदक द्वारा दिया गया ओवदन एवं जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यकम पदाधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन करने के साथ–साथ आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता तथा सरकारी विज्ञ अधिवक्ता को सुना। आवेदक का आवेदन में कहना है कि पूर्व में वे 06.010.2010 से उत्कमित प्राथमिक विद्यालय, भुईंयां टोला करमडीह में पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। विद्यालय के प्रधान शिक्षक एवं ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष गांव के ही थें जो उनकी बहाली से नाराज रहतें थें। उनलोगों द्वारा झुठा केस करवा दिया गया एवं 24.10.2010 को विद्यालय जाने के बाद प्रधान शिक्षक द्वारा उपस्थिति पंजी पर उपस्थिति नही बनाने दिया गया तथा गांव के कुछ लोगों के साथ जान मारने की धमकी दी गई, जिसकी लिखित जानकारी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को देने के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति नव प्राथमिक विद्यालय खड़िया टोला तिवारी मरहटिया में कर दिया गया जहां से वे पंचायत चुनाव कराये। तत्पश्चात प्रधान शिक्षक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति की फर्जी बैठक पंजी बनाकर सेवा समाप्त करने के लिए प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दिया गया जिसमें उनके द्वारा किसी तरह का अनुशंसा नही करने के बाद वही फर्जी बैठक पंजी सेवा समाप्त करने हेतु जिला कार्यालय को दिया गया। उसके बाद उनका समायोजन उत्कमित प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर में किया गया जिसकी जानकारी प्रधान शिक्षक एवं अध्यक्ष को मिली तो उन्होने प्रतिनियुक्त विद्यालय खड़िया टोला तिवारी मरहटिया से पुलिस द्वारा गिरफ्तार करा दिया गया। दिनांक– 02.05.2012 को कोर्ट द्वारा जेल से बाहर आने के बाद समायोजित विद्यालय में समायोजन के लिए प्रखण्ड कार्यालय में आवेदन दिया जिसे कार्रवाई हेतु जिला कार्यालय को भेज दिया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलने के बाद उनके द्वारा मूल विद्यालय में भेजने की बात कही गई परन्तु जिला कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नही हुई। वाद की सुनवाई के कम में आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष पुनः एक आवेदन पत्र दिया गया जिसमें उनका	

कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा दिनांक– 04.10.2010 को महिला के साथ दुष्कर्म का लगाया गया आरोप गलत है। उक्त महिला द्वारा झुठा वाद स्थापित किया गया है जिसके चलते ग्राम शिक्षा समिति द्वारा साजिश के तहत बर्खास्त किया गया। न्यायालय द्वारा निर्दोष पाकर वर्ष 2012 में रिहाई कर दी गई। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा मनमानी ढंग से तथा गलत निर्णय लिया गया है। नियुक्ति से लेकर अगस्त 2010 तक का मानदेय प्राप्त हुआ है एवं आवेदक का 7–8 माह का मानदेय भुगतान नही हुआ है, जिसके लिए आवेदन दिया गया जिसपर कोई कार्रवाई नही हुई। ग्राम शिक्षा समिति के निर्णय के बाद भी 5–6 माह कार्य लिया गया है। अपने आवेदन पत्र में उन्होने पुनः पारा शिक्षक के रूप में उत्कमित प्रा0वि कल्याणपुर में योगदान का आदेश देने हेतु अनुरोध किया है।

जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यकम पदाधिकारी गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन जिसके साथ प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का प्रतिवेदन का छायाप्रति संलग्न है, का अवलोकन किया। जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यकम पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक– 06.10.2006 को श्री निरंजन कुमार का ग्राम शिक्षा समिति द्वारा नव प्रा0वि0 भुइंयां टोला करमडीह में पारा शिक्षक के रूप में चयन किया गया था। श्री कुमार द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म करने तथा दिनांक– 04.10.2010 को पुनः एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दिनांक– 18.10.2010 को ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्रामीणों के द्वारा बैठक कर सेवा समाप्त की गई।दिनांक– 24.10.2010 को सेवा समाप्ति प्रपत्र श्री निरंजन कुमार को दिया गया, परन्तु उनके द्वारा नही लिया गया।तत्कालीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा ज्ञापांक– 706 दिनांक– 25.10.2010 के माध्यम से नव प्रा0वि0 खड़िया टोला तिवारी मरहटीया गढ़वा में श्री कुमार को प्रतिनियोजित किया गया। प्रतिनियोजन के पश्चात श्री कुमार द्वारा दिनांक– 26.10.2010 को विद्यालय में योगदान किया गया। प्रधान शिक्षा मित्र खड़िया टोला तिवारी मरहटीया द्वारा प्राप्त शिक्षकोपस्थिति से स्पष्ट हुआ है कि श्री कुमार दिनांक– 26.10.2010 से 07.04.2011 तक संबंधित विद्यालय मे कार्य किये हैं। तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यकम पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक– 500 दिनांक– 04.04.2011 के द्वारा श्री कुमार के मानदेय भुगतान एवं उ0प्रावि0 कल्याणपुर में समायोजन हेतु प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,गढ़वा को निदेशित किया गया था।वर्तमान प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यकम पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक– 500 दिनांक– 04.04.2011 के द्वारा निर्गत आदेश के उपरांत मंडल कारा चले जाने के कारण श्री निरंजन कुमार द्वारा उ0प्रा0वि कल्याणपुर में योगदान नही किया गया साथ ही रिहा होने के पश्चात भी उनके द्वारा किसी भी विद्यालय में योगदान नही किया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यकम पदाधिकारी, गढ़वा के प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित है कि श्री निरंजन कुमार द्वारा की गई गलतियों के पुनरावृति के उपरांत ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई। यदि श्री कुमार को सेवा समाप्ति पर आपति होती तो उनके द्वारा मंडल कारा से रिहा होने के उपरांत विद्यालय में योगदान किया गया होता। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के उपरांत पारा शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। उक्त परिपेक्ष्य में श्री कुमार का ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिनांक– 18.10.2010 को लिये गये निर्णय के अनुसार पारा शिक्षक के रूप में सेवा लेना नियमानुकुल प्रतीत नही होता है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने

के साथ साथ सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क में कहना है कि आवेदक निरंजन कुमार के विरूद्ध बच्ची एवं महिला के साथ दुष्कर्म का लगाया गया आरोप गलत है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा साजिश के तहत बरखास्त किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा मनमानी ढंग से गलत निर्णय लिया गया है। दिनांक– 18.10.2010 को समिति की बैठक में जिन पांच लोगों का हस्ताक्षर है, समिति के सदस्य नही हैं। आवेदक को बरखास्तगी के बाद भी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,गढ़वा–1 द्वारा दिनांक 26.10.2010 को पारा शिक्षक के रूप में नव प्राथमिक विद्यालय खड़िया टोला तिवारी मरहटिया में प्रतिनियुक्त किया गया जहॉ वे दिनांक 26. 10.2010 से 7.04.2011 तक कार्य किये एवं बाद में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा आवेदक को उत्कमित प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर में समायोजन तथा मानदेय भुगतान का आदेश दिया गया था जहॉ वे योगदान नहीं कर पाये। चूँकि उसी दौरान वर्ष 2011 में आदेवक को झूठा केस में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जिसमें निर्दोष पाकर न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद आवेदक द्वारा योगदान हेतु आवेदन दिया गया जिसपर अश्वासन के अलावा कोई आदेश नहीं हुआ। तर्क में आगे उनका यह भी कहना है कि आवेदक का 7–8 माह का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। ग्राम शिक्षा समिति के दिनांक 18.10.2010 के निर्णय के बाद ही आवेदक से 5–6 माह कार्य लिया गया है जिसमें पंचायत चुनाव में भी कार्य लिया गया है। तर्क में उन्होंने आवेदक निरंजन कुमार को पुनः पारा शिक्षक के रूप में उत्कमित प्राथमिक विद्यालय में योगदान करने हेतु आदेश देने के लिए अनुरोध किया है।

राज्य की ओर से सरकारी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क का खण्डन करते हुए कहा गया कि आवेदक निरंजन कुमार के विरूद्ध गंभीर आरोप है जो एक शिक्षक के आचरण के प्रतिकूल है। आवेदक थाना काण्ड संख्या 389/2010 में काराधीन भी रहे हैं। यहॉ तक कि पुलिस अनुसंधान में आवेक दोषी पाये गए हैं तथा उनके विरूद्ध चार्जशीट भी समर्पित है। तर्क में आगे उनका यह भी कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के W.P.(S) N0. 5888/2014 में जो प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया उसमें आवेदक को दोषी बताया गया है। वाद की सुनवाई के कम में जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यकम पदाधिकारी गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा जहॉ एक ओर आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है वहीं दूसरी ओर गलतियों के पुनरावृति के वाद हीं शिक्षा समिति द्वारा सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। आवेदक द्वारा पुनः नियुक्त करने हेतु किया जा रहा दावा निराधार है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक निरंजन कुमार को दिनांक 06.10.2006 को ग्राम शिक्षा समिति द्वारा नव प्राथमिक विद्यालय भुईया टोला करमडीह में पारा शिक्षक के रूप में चयन किया गया था जिन्हें दुष्कर्म के आरोप में दिनांक 18.10.2010 को ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्रामीणों के द्वारा बैठक कर सेवा समाप्त की गई है।इतना ही नही जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यकम पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री निरंजन कुमार, जो इस वाद के आवेदक हैं द्वारा की गई गलतियों के पुनरावृति के उपरांत ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। किसी भी लोक सेवक का आचरण स्वच्छ होना आवश्यक है। चूंकि आवेदक श्री निरंजन कुमार का आचरण एक लोकसेवक के

आचरण के प्रतिकूल रहा है ऐसी स्थिति में पारा शिक्षक के पद पर पुनः नियुक्त किया जाना विधिनुकूल प्रतीत नही होता है। फलतः उक्त आशय के आलोक में आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गढ़वा।

12/5

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गढ़वा।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 12:48:13 +05:30
Location: 192.168.31.7